



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270704
CG-DL-E-06032026-270704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149 |
No. 149 |

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

फा.सं. 23-8/2023-INC:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, भारतीय उपचर्या परिषद् का कार्यालय जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय है, के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृद्धों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

डॉ० टी० दिलीप कुमार, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./725/2025-26]

INDIAN NURSING COUNCIL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2026

F. No. 23-8/2023-INC:—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the office of Indian Nursing Council, a Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare, whereof more than 80 percent staff have acquired the working knowledge of Hindi.

This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./725/2025-26]